व्यक्तिगत ग्राहक के चेक/इन्स्ट्रूमेंट संग्रहण की पालिसी

1. संग्रहण व्यवस्था :

1.1 स्थानीय चेक :

➢समस्त चेक तथा निगोशिएबिल इन्सट्रूमेंट जो स्थानीय आधार पर देय हों, क्लियरिंग के द्वारा प्रस्तुत किये जायेगें। निर्धारित समय सीमा में शाखा पर प्राप्त चेक व इन्सट्रूमेंट उसी दिन क्लियरिंग हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।

- ➢निर्धारित समय सीमा : क्लियरिंग हाउस में प्रस्तुत करने के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व तक (व्यवसाय कार्य काल के अन्तर्गत)
- ➢कलेक्शन बाक्स तथा शाखा के बाहर स्थित एटीएम (भविष्य में) में जमा चेक तथा इन्सट्रूमेंट अगली क्लियरिंग में प्रस्तुत किये जायें।
- ➢खातों में जमा उसी दिन दिया जाये जब क्लियरिंग निस्तारण पूर्ण हो जाये।
- ➢खातों में जमा किये धन की निकासी, वापसी क्लियिरंग की सूचना प्राप्त होने के पश्चात लागू सुरक्षा निर्देश का पालन करते हुए ही अनुमत की जाये।
- ➢जहॉ पर हाई वैल्यू क्लिरिंग (उसी दिन जमा करना) उपलब्ध हो वहॉ पर यह सुविधा प्रदान की जाये।
- ➢जिन केन्द्रों पर क्लियरिंग हाउस नही है, वे शाखायें आदाता बैंक में चेक या इन्सट्रूमेंट प्रस्तुत कर शीघ्रातिशीघ्र खाताधारक के खाते में धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें।

1.2 <u>बाह्य चेक</u> :

➢बाह्य केन्द्रों पर देय चेक का संग्रहण बैंक की अपनी शाखाओं/इलाहाबाद बैंक की शाखाओं तथा अन्य बैंकों की शाखाओं से एजेन्सी अरेंजमेंट के अन्तर्गत किया जायेगा।

➢जिन केन्द्रो पर एजेन्सी व्यवस्था नही है, वहॅं पर शाखायें सीधे आदाता बैंक की शाखा को चेक व इन्सट्रूमेंट संग्रहण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

➢बाह्य केन्द्रों पर स्थित अपनी शाखाओं पर देय चेकों का संग्रहण अन्तर शाखा लेन–देन प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

➢जब बैंक की शाखायें केन्द्रीयकृत नेट वर्किंग सुविधा को अपनायेगी तब बाह्य चेकों हेतु ग्राहक के खाते में जमा उसी दिन उपलब्ध करायी जायेगी। यह सुविधा केन्द्रीकृत नेटवर्किगं सुविधा के अन्तर्गत सम्मिलित शाखाओं में ही उपलब्ध होगी।

1.3 <u>स्थानीय/बाह्य चेक अथवा इन्सट्रूमेंट का तुरन्त जमा करना</u> :

➢शाखायें तथा विस्तार पटल, कुल धनराशि रु0 15000/– तक के प्राप्त चेक व इन्सट्रूमेंट हेतु त्वरित जमा खाते में करने हेतु विचार कर सकते हैं यदि खाते का लेन–देन छः माह तक सन्तोषजनक रहा हो।

➢इस प्रकार की जमा ग्राहक के निर्दिष्ट आवेदन अथवा पूर्व व्यवस्था पर ही किया जायेगा

➢इस प्रकार की त्वरित जमा करने की सुविधा उन शाखाओं पर भी उपलब्ध होगी, जहाँ पर क्लियरिंग हाउस नही है।

➢त्वरित जमा करने की सुविधा बचत/चालू/कैश केडिट खातों में की जा सकती है। यह सुविधा प्रदान करने हेतु न्यूनतम अवशेष के नियम अलग से लागू नही होगें।

➢पूर्व भुगतान प्राप्त इन्सट्रूमेंट जैसे डिमान्ड ड्राफ्ट, ब्याज अथवा डेविडेन्ट वारेंट को चेक के समातान्तर माना जायेगा।

➢खातों में त्वरित जमा किये गये चेकों के सन्दर्भ में ग्राहक से उस अवधि के लिये ब्याज वसूल किया जायेगा जिस अवधि तक सम्बन्धित धनराशि बैंक से बाहर रही है। व्यक्तिगत ओवरडाफ्ट खातों पर देय ब्याज दर प्रभारित की जायेगी।

➢त्वरित जमा हेतु खाते का लेन–देन सन्तोषजनक तभी माना जायेगा यदि :

- खाता छः माह पूर्व खुला हो तथा केवाईसी नार्म्स व पबिलक मनी लाण्डरिंग निर्देशों का पालन किया गया हो।
- खाते का संचालन संतोषजनक रहा हो तथा कोई अनियमित लेन–देन जानकारी में न आया हो।
- जिन खातों में त्वरित जमा सुविधा दी गयी हो तथा आर्थिक कारणों से (धन की कमी) चेक की वापसी न हुई हो।
- जिन खातों में त्वरित जमा सुविधा दी गयी हो तथा चेक की वापसी पर धन की वसूली में कोई रुकावट व समस्या न आई हो।

- ग्राहकों से प्राप्त चेकों की धनराशि के सन्दर्भ में त्वरित जमा सुविधा प्रदान करने हेतु लागू संग्रहण शुल्क तथा अन्य व्यय प्रभारित किया जायेगा। संग्रहण हेतु प्राप्त चेकों को खरीदने पर लागू विनिमय प्रभार नही लिया जायेगा।

1.4 <u>स्थानीय व बाह्य चेकों का क्रय करना</u> :

बैंक के ऋण पालिसी के अनुसार संग्रहण हेतु स्थानीय व बाह्य चेकों को खाताधारक के अनुरोध / पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत खरीदा जा सकता है।

2. स्थानीय/बाह्य चेक व इन्सट्रूमेंट को संग्रहण हेतु समय अवधि :

- क्लियरिंग हाउस में प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय चेक की जमा क्लियरिंग निस्तारण तथा क्लियरिंग वापसी के लागू नियम के अनुसार खाते में जमा प्रदान की जाये। **चेकों के जमा करने तथा उसी दिन समाशोधन गृह भेजने की सूचना ग्राहकों की जानकारी हेतु शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाये।**

- देश के अन्य केन्द्रों पर देय चेकों व इन्सट्रूमेंट हेतु निम्न समय सीमा का पालन किया जायेगा।
  - अधिकतम समयावधि 07 दिन तक : राज्यों की राजधानी तथा शाखायें व केन्द्र जो शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आते हों।
  - अधिकतम समयावधि 10 दिन : मुख्य शहर तथा शाखायें व केन्द्र जो अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आते हों।
  - अधिकतम समयावधि 14 दिन : अन्य समस्त केन्द्र एवं स्थान तथा शहर

3. बाह्य चेकों के विलम्ब से संग्रहण पर ब्याज भुगतान :

- उपरोक्त क्रमांक 2 पर वर्णित समयावधि के पश्चात खाते में संग्रहण हेतु प्राप्त चेकों की धनराशि जमा करने पर विलम्ब अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
- उपरोक्त ब्याज का भुगतान समस्त प्रकार के खातों में ग्राहक के बिना मांग के किया

- यदि विलम्ब अप्रत्याशित अवधि हेतु है अथवा 90 दिन से अधिक है तो ब्याज का भुगतान सम्बन्धित अवधि की मियादी जमाओं पर 2 प्रतिशत अधिक किया जायेगा।
- यदि संग्रहण हेतु प्राप्त चेक की राशि ग्राहक के ओवरडाफ्ट या ऋण खाते में किया जाना है तो विलम्ब अवधि के लिए ब्याज का भुगतान सम्बन्धित ऋण खाते पर देय ब्याज दर के अनुसार किया जायेगा। यदि विलम्ब अप्रत्याशित अवधि हेतु है अथवा 90 दिन से अधिक है तो ब्याज का भुगतान सम्बन्धित ऋण खाते पर देय ब्याज दर के अनुसार पर 2 प्रतिशत अधिक किया जायेगा।

➢ ब्याज का भुगतान केवल उन्ही चेकों के लिए देय है जो देश के ही अन्दर स्थति केन्द्रों पर देय है।

4. संग्रहण के दौरान अथवा आदाता बैंक की शाखा से खोये चेक व इन्सट्रूमेंट :

➢ यदि संग्रहण हेतु प्राप्त चेक व इन्सट्रूमेंट प्रेषण/संग्रहण के दौरान अथवा आदाता बैंक की शाखा से खो जाता है तो शाखायें :–

- चेक खोने की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त खाताधारक अथवा ग्राहक को देगें ताकि खाताधारक चेक जारीकर्ता को भुगतान रोकने हेतु सूचित कर सके और आवश्यक सावधानी अपनाये जिससे उसके द्वारा जारी चेकों का भुगतान खो गये चेक की धनराशि जमा न होने के कारण वापस न हो सके।
- शाखायें डुप्लीकेट चेक जारी करवाने हेतु ग्राहक को समुचित योगदान प्रदान करें।

➢ प्रेषण के दौरान खोये चेकों हेतु बैंक खाताधारक को निम्नानुसार क्षतिपूर्ति करेगा :

- उपरोक्त वर्णित अवधि (7/10/14 दिन) के पश्चात खोये चेकों की सूचना ग्राहक को देने पर बैंक क्रमांक 3 में अंकित दर अनुसार ब्याज का भुगतान करें।
- इसके अतिरिक्त डुप्लीकेट चेक/ इन्सट्रूमेंट जारी करने तथा संग्रहण राशि प्राप्त होने के 15 दिन से अधिक विलम्ब होने पर बैंक बचत खाता की दर से अतिरिक्त अवधि का ब्याज भुगतान करेगा।
- शाखायें डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने हेतु देय शुल्क व फीस की राशि का क्षतिपूर्ति करें।

5. फोर्स मेजर (Force Majeure)

यदि विलम्ब संग्रहण अप्रत्याशित घटना जिनमें बाधा (Sabotage), लाक आउट, हड़ताल, श्रमिक व्यवधान, दुर्घटना, अग्नि, प्राकृतिक आपदा अथवा दैवीय घटना, सम्बन्धित बैंक को क्षति, सूचना व परिवहन की बाधा आदि जो बैंक की क्षमता के बाहर हों जिससे बैंक अपने

दायित्वों का निर्वाहन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करने में असमर्थ हों तो बैंक कोई भी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नही होगा।

6. बिना भुगतान प्राप्त वापस किये गये चेक जिन पर त्वरित जमा प्रदान किया गया है, में ब्याज प्रभारित करना :

- बिना भुगतान प्राप्त वापस किये गये चेक जिन पर त्वरित जमा प्रदान किया गया है, की जमा की गयी धनराशि तुरन्त खाते में नामे की जायेगी
- जिन खातों में त्वरित जमा प्रदान किया गया है परन्तु धन की निकासी ग्राहक द्वारा नही की गयी है तो कोई ब्याज प्रभारित नही किया जायेगा।
- ब्याज वही लागू होगा जो ग्राहक के खाते में अधिविकर्ष अवशेष के रूप में हो, यदि खाते में त्वरित जमा की राशि न प्रदान की गयी होती।
- जिन बचत खातों में त्वरित जमा प्रदान किया गया है परन्तु धन की निकासी ग्राहक द्वारा नही की गयी है तो जमा की गयी राशि पर कोई ब्याज प्रभारित नही किया जायेगा।
- यदि त्वरित जमा धनराशि ओवरडाफ्ट अथवा ऋण खाते में जमा की गयी है तो बैंक से निकाली गयी धनराशि पर ब्याज ओवरडाफ्ट अथवा ऋण खाते पर देय ब्याज राशि से 02 प्रतिशत अधिक की दर से जमा करने की तिथि से प्रविश्टि नामे करने की तिथि तक प्रभारित किया जायेगा।
- **चेक अनादृत होने पर, चेक वापसी का कारण दर्शाते हुये चेक ग्राहक के पते पर पंजीकृत डाक/स्थानीय वितरण प्रणाली से बिना विलम्ब के वापस किया जाये।**